यात्रा-विराम नियम

500 कि.मी. (वास्तविक दूरी) से अधिक दूरी की यात्रा करने वाले एकल टिकट धारक किसी भी मार्गस्थ स्टेशन पर यात्रा-विराम कर सकते हैं। परंतु प्रारंभिक स्टेशन से 500 कि.मी. के बाद ही प्रथम यात्रा-विराम किया जा सकता है। 1000 कि.मी. तक की यात्रा के लिये टिकट पर केवल एक यात्रा-विराम की अनुमति दी जाएगी और इससे अधिक दूरी के लिए अधिकतम दो यात्रा-विरामों की अनुमति दी जाएगी। किसी स्टेशन पर यात्रा-विराम करने की अवधि, आगमन और प्रस्थन के दिन को छोड़कर, अधिकतम दो दिन की होगी। हालांकि भारतीय रेल के उप-नगरीय सेक्शनों पर एकल-यात्रा टिकट पर यात्रा-विराम की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नोट:-

1. यह सुबिधा राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है.
2. यह सुबिधा छोटे स्टेशन और जहाँ से आरक्षण किया है की अनुमति नहीं देता है.
3. ब्रेक यात्रा का विवरण बुकिंग के समय करना चाहिए आरक्षण करने के बाद नहीं.

उदाहरण:-

1	कोई यात्री 500 कि.मी. की एकल यात्रा टिकट पर 423 कि.मी. की यात्रा के बाद यात्रा-विराम चाहता है.	इसकी अनुमति नहीं है
2	कोई यात्री 600 कि.मी. की एकल यात्रा टिकट पर 501 कि.मी. की यात्रा के बाद यात्रा-विराम चाहता	अधिकतम 2 दिन के लिए अनुमति है
3	कोई यात्री 1050 कि.मी. की एकल यात्रा टिकट पर 400 एवं 801 कि.मी. की यात्रा के बाद यात्रा-विराम चाहता है	801 कि.मी. की यात्रा के बाद अधिकतम 2 दिन के लिए केवल एक यात्रा-विराम की अनुमति है
4	कोई यात्री 2000 कि.मी. की एकल यात्रा टिकट पर 800 एवं 905 एवं 1505 कि.मी. की यात्रा के बाद यात्रा-विराम चाहता है	यात्री अपनी पसंद के दो स्थानों पर यात्रा-विराम कर सकता है, बशर्ते कि यात्रा-विराम की अवधि दो दिन से अधिक न हो।
5	यदि कोई यात्री 2000 किमी. की यात्रा करता है तो उसको 800 किमी, 905 किमी और 1505 किमी. पैर ब्रेक यात्रा करने का अधिकार है	दो ब्रेक यात्रा करने की अनुमति यात्री की सुबिधा के अनुसार दो दिन की ब्रेक यात्रा पैर दिया जायेगा.

1. यदि कोई थ्रू यात्री कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने के लिए मार्गस्थ स्टेशन पर गाड़ी से उतर जाता है तो इसे यात्रा विराम नहीं समझा जाना चाहिए बशर्ते यह ठहराव 24 घंटे से कम हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दादर के रास्ते पुणे से जम्मूतवी के टिकट पर दिन की किसी गाड़ी से पुणे से मुंबई तक

की यात्रा करता है और अगली सुबह मुंबई से 6.25 बजे प्रस्थान करने वाली मुंबई-जम्मूतवी एक्सप्रेस पकड़ना चाहता है तो इसे यात्रा-विराम नहीं समझा जाएगा।

नोट :

राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस आदि जैसी कुछ गाड़ियों, जिनका अलग से स्टेशन से स्टेशन के आधार पर समग्र किराया ढांचा है, के टिकटों पर यात्रा-विराम की अनुमति नहीं है और इसके लिए ऐसे आंशिक रूप से अप्रयुक्त टिकटों पर कोई रिफंड नहीं दिया जाता।

2. . यात्रियों के लिए अपने टिकट पर एंडोर्समेंट करवाना आवश्यक है। एंडोर्समेंट में स्टेशन कोड, स्टेशन मास्टर के आद्याक्षर और तिथि होनी चाहिए।

नोट :

निर्धारित एंडोर्समेंट प्राप्त किए बिना यात्रा-विराम करने वाले यात्रियों को समुचित टिकट के बिना यात्रा करने वाला समझा जाएगा और उनके साथ तदनुसार बर्ताव किया जाएगा।

3. यात्रा-विराम करने वाले यात्रियों को, उपर्युक्त अनुच्छेद-1 की व्यवस्था को छोड़कर, अपने टिकट उस स्टेशन पर, जहां यात्रा-विराम दिया गया है, अवश्य सरेंडर कर देने चाहिए। ऐसे टिकटों पर यात्रा नहीं किए गए भाग के लिए विशेष परिस्थितियों में, नियम 213.4 में दी गई शर्तों के अधीन रिफंड किया जाएगा बशर्ते उस नियम में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो।

4. जिस स्टेशन के लिए आरक्षण कराया गया हो, उससे पहले यात्रा विराम की अनुमति नहीं दी जाएगी। थ्रू टिकट पर आरक्षण चाहने वाला कोई यात्री यदि मार्गस्थ स्टेशन पर यात्रा-विराम चाहता है तो उसे आरक्षण मांगपत्र पर उस स्टेशन का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए, जहां वह यात्रा-विराम करना चाहता है: ऐसे मामलों में आरक्षण केवल यात्रा-विराम वाले स्टेशन तक ही दिया जाएगा।